

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-6/अ0-03-12/2019

पटना, दिनांक:-

श्री संतोष कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गयाजी को वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2498/वि0 (2), दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889/वि0 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में उनके प्रथम संतान के लिए दिनांक-09.02.2026 से 23.02.2026 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-12/2019 438

पटना, दिनांक:- 03/02/26

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/राज्य-कर राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।